दिनांक 10 व 11 सितम्बर, 2015 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

- **बैठक की समीक्षा सूडा के पत्रांक–2301 /110/तीन/97–VI, दिनांक 31.08.2015** द्वारा निर्गत एजेण्डा के अनुसार समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों से योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। जनपदों को अवगत कराया गया कि माह अगस्त की एन0यू0एल0एम0 की एम0पी0आर0 प्रत्येक शहरों के शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (सी0एम0एम0यू0) से प्राप्त हुई है तथा समस्त जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि समस्त योजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्रत्येक दशा में सूडा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित् किया जाय, जिससे शासन एवं भारत सरकार को ससमय अवगत कराया जा सके।
- **जनपदों का अवगत कराया गया कि माह अक्टूबर की मासिक समीक्षा बैठक कमशः दिनांक 12.10.2015 तथा 13.10.2015 को की जायेगी। बैठक हेतु एजेण्डा जनपदों को ससमय प्रेषित कर दिया जायेगा।**
- **समस्त जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया किसी भी सूचना के ई–मेल प्रेषण में विषय एवं जनपद का नाम जरूर अंकित किया जाय।**

(कार्यवाही सूडा/समस्त डूडा)

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना

- समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि कार्य पूर्ण होने की सूचना तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध करायें तथा आवासों के आवंटन की प्रकिया शीघ्र ही पूर्ण करायें। इस संबंध में जनपद गौतमबुद्ध नगर को निर्देशित किया गया कि दिनांक 15.09.2015 तक निर्धारित प्रारूप पर संबंधित अधिकारियों से हस्ताक्षर कराकर मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित् करें।
- आई0एच0डी0पी0/बी0एस0यू0पी0 के अंतर्गत मूल्यवृद्धि के पश्चात् जिन जनपदों के प्रस्ताव स्वीकृत हो गये है, को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह में धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दें ताकि कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो सके।

(कार्यवाही सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

राजीव आवास योजना

राजीव आवास योजनान्तर्गत संबंधित जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि शीघ्र अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण कराना सुनिश्चित् किया जाये तथा जनपदों को निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्था को ससमय धनराशि अवमुक्त की जाये।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना

- योजना की समीक्षा में इसकी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया, अद्यतन कुल स्वीकृत 30304 आवासों के सापेक्ष 11084 पर कार्य प्रारम्भ है। प्रारम्भ आवासों के सापेक्ष मात्र 5158 आवास ही पूर्ण है (जिन पर कुछ कार्य किया जाना शेष है) एवं शेष विभिन्न स्तर पर निर्माणाधीन है। इस प्रकार स्वीकृत आवासों के सापेक्ष प्रारम्भ आवासों का प्रतिशत 36.00 प्रतिशत है। प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया। कार्यदायी संस्था के उपस्थित

प्रतिनिधि को अवगत कराया गया कि योजना की विकास एजेण्डा के अंतर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रत्येक माह समीक्षा की जा रही है एवं मुख्य सचिव महोदय द्वारा तत्काल वांछित प्रगति लाने हेतु निर्देश दिये जा रहे है। कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया तत्काल कार्य प्रारम्भ कराते हुये अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित् किया जाय एवं कार्यों में विलम्ब के लिए किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी। कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये यदि गुणवत्ता खराब पायी जाती है तो इसके समस्त जिम्मेवारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

रिक्शा योजना

समस्त परियोजना अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये कि चयनित लाभार्थियों की सत्यापरोपरान्त प्राप्त लाभार्थियों की अद्यतन सूची की साफ्ट प्रति (अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति के उल्लेख सहित) एक सप्ताह के अन्दर ई–मेल के माध्यम से सूडा मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

रिक्शा चालकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना एवं निजी रिक्शा बीमा योजना

- पूर्व वर्षों से संचालित, "रिक्शा चालकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना एवं निजी रिक्शा बीमा योजना" के अंतर्गत समीक्षा बैठक के एजेण्डा में उल्लिखित वांछित बिन्दुवत् सूचना जनपदों से अनवरत कड़े निर्देश के बाद भी नहीं दी जा रही है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है। निदेशक महोदय द्वारा सचेत करते हुए पुनः निर्देशित किया गया कि उक्त कल्याणकारी योजना से लाभान्वित किये जाने हेतु (पूर्व में एक मुश्त 10 वर्ष हेतु बीमित) लाभार्थियों को जानकारी प्रदान किये जाने के लिए समुचित प्रचार–प्रसार किया जाये। अपेक्षित सूचना जानकारी तत्काल मुख्यालय प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा)

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में यह निर्देशित किया गया था कि सभी जनपद के जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जनपदों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, अन्तरण के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दें। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं कृत कार्यवाही का विवरण नियमित रूप से अभिकरण मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। खेद का विषय है कि जनपदों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। अभिकरण मुख्यालय पर अनापेक्षित प्रथम अपीलों के योजित होने के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये कि जनपद स्तर से यथा समय आवेदन पत्रों का निस्तारण न किये जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यह निर्देशित किया कि जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर आवेदन पत्रों का यथा समय निस्तारण करें।

(कार्यवाही–जनसूचना अधिकारी/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

अर्बन स्टेटिटिक्स फॉर एच आर एण्ड एसेस्मेंट्स (USHA)

प्रश्नगत योजना के परिपेक्ष्य में विगत दिनांक 15 एवं 16 अपैल 2015 को सम्पन्न मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 24.04.2015 में यह सुस्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा निर्गत

दिशानिर्देश के अनुरूप जिन जनपदों में स्लम प्रोफाइल से सम्बन्धित सुनिश्चित प्रारूप 1 पर सर्वेक्षित सूचना संग्रहित नहीं की गयी है या जहां सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य अपूर्ण है उन सभी शहरों में स्लम प्रोफाईल प्रारूप को सम्मिलित करते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर 15 दिनों के अन्दर ऑनलाईन डेटाफीडिंग हेतु नामित संस्था (अप्ट्रान) के प्रतिनिधि को सर्वेक्षण प्रारूप की हार्ड कॉपी उपलब्ध करा दी जाये। यह भी निर्देशित किया गया था कि समयबद्ध अनुपालन न किये जाने की स्थिति में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कडी प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी। बैठक से पूर्व एवं इसके पश्चात भी अभिकरण स्तर से सभी जनपदों को सुस्पष्ट निर्देश पृथक से भी निर्गत किये गये।

निदेशक महोदय द्वारा विगत दिनों भारत सरकार के योजना से सम्बन्धित नोड़ल अधिकारी के स्तर से इस सम्बन्ध में किये जा रहे सतत अनुश्रवण एवं प्रश्नगत कार्य में कतिपय शिथिलता के सम्बन्ध में महालेखाकार की सम्प्रेक्षा टिप्पणी को भी इंगित करते हुए निर्धारित सूचना तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

उक्त क्रम में पुनः यह निर्देशित किया गया कि समस्त जनपद विलम्बतम 15 दिन के अन्दर स्लम प्रोफइल के सुनिश्चित प्रारूप पर सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराकर भरे गये प्रारूप नामित संस्था के प्रतिनिधि को ऑनलाइन डेटाफीडिंग हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। अनुपालन न किये जाने की स्थिति में व्यक्तिगत दायित्व निर्धारित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित डूडा)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0)

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उप घटक शहरी बेघरों के लिए जिन शहरों से निःशुल्क भूमि अप्राप्त है उनको शीघ्र ही भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए डी0पी0आर0 तैयार करने के पुनः निर्देश दिये गये। कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 को निर्देशित किया गया कि जिन शहरों में निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है, को शीघ्रता से पूर्ण करना सुनिश्चित् किया जाये। कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि जहां भूमि प्राप्त हो गयी है वहां की डी0पी0आर0 शीघ्र तैयार कराकर मुख्यालय को प्रस्तुत करें। बैठक में कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि जिस शहर के प्रस्ताव स्वीकृत हो गये है तथा कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है, में 10 दिन में कार्य प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें।

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उप घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (Scheme of Shelter for Urban Homeless (SUH) के अंतर्गत जनपदों के परियोजना अधिकारियों को पुनः अवगत कराया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) संख्या–55/2003 संलग्न रिट याचिका (सिविल) संख्या–572/2003, ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य विचाराधीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण की सघन मानीटरिंग की जा रही है तथा समय–समय पर आदेश दिये जा रहे है। रिट याचिका (सिविल) संख्या–572/2003 के संदर्भ में स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना के अंतर्गत आश्रय उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये तत्काल पर्याप्त संख्या में आश्रय के निर्माण के लिए निर्देश दिये गये है, जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि शहरी बेघरों के लिए आश्रय निर्माण के प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एनयूएलएम के अंतर्गत सभी चयनित शहरी निकायों से शहरी बेघरों के लिए आश्रय के प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु उक्त आदेश का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित किये जाने के निर्देश पुनः दिये

गये। जिन शहरों में अभी तक आश्रय हेतु भूमि की उपलब्धता नहीं हो पायी है वहां विभिन्न सरकारी विभागों यथा–स्वास्थ्य, परिवहन एवं अन्य विभागों को सम्पर्क/समन्वय कर भूमि/भवन की उपलब्धता सुनिश्चित् कराने के निर्देश दिये गये साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि 05 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर प्राथमिकता के आधार पर भूमि/भवन की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित् करते हुय तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध करायें।

- जनपदों को परियोजना अधिकारियों को यह भी अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा न्यूनतम 50 व्यक्तियों के लिए आश्रय की सीमा में विशेष परिस्थितियों में छूट प्रदान की गयी है।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

- शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता (Support to Urban Street Vendor(SUSV)) के संबंध में नगर निगम वाले शहरों को निर्देशित किया गया कि शहरी पथ विक्रेताओं की **पंजीकृत सूची** तथा निर्धारित प्रारूप पर सूचना अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/स्थानीय निकाय निदेशालय)

- स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अंतर्गत एन0यू0एल0एम0 के चयनित शहरों को निर्देशित किया गया कि तत्काल बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष अधिक से अधिक आवेदन पत्र प्रेषित कर स्वीकृत/वितरित कराना सुनिश्चित् किया जाय। समीक्षा में समूह ऋण की प्रगति अत्यन्त असंतोषजनक पायी गयी। सभी संबंधित शहरों को निर्देशित किया गया कि समूहों ऋण पर भी विशेष ध्यान दिया जाय एवं अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित् किया जाय। बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत एम0पी0आर0 में निर्धारित प्रारुप पर सूचना अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) की प्रगति की राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के अधिकारियों एवं उनके द्वारा प्रशिक्षण हेतु नामित 18 संस्थाओं के साथ प्रगति की समीक्षा की गयी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा उक्त मिशन के अंतर्गत 18 संस्थाओं को 30 शहरों हेतु नामित किया गया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) एवं उनकी पार्टनर संस्थाओं के साथा प्रगति की समीक्षा की गयी, जो अत्यन्त असंतोषजनक पायी गयी।

- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) की संस्थाओं द्वारा अभी तक कई शहरों में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ ही नहीं किया गया है और न ही प्रशिक्षण हेतु केन्द्रों का निरीक्षण कराया गया है। इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए एन0एस0डी0सी0 के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही सुनिश्चित् की जाय अन्यथा जिस भी संस्था द्वारा प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है, को ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही की जाये। यह भी निर्देशित किया गया कि निरन्तर डूडा के अधिकारियों के सम्पर्क में रहे जिससे आने वाली समस्याओं का ससमय समाधान सुनिश्चित् हो सके।

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) के अंतर्गत एन0एस0डी0सी0 के अतिरिक्त शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा निविदा के माध्यम से 340 संस्थाओं द्वारा चयनित शहरों में प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु चयनित है, की समीक्षा करने पर प्रगति असंतोष पायी गयी। परियोजना अधिकारियों

को निर्देशित किया गया कि जिन शहरों में प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थाओं द्वारा अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है, से तत्काल प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित् किया जाये अन्यथा ऐसी संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। यह भी अवगत कराया गया कि समस्त उपघटकों की शासन एवं भारत सरकार द्वारा प्रगति की समीक्षा की जाय रही है एवं प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए तत्काल अपेक्षित प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। अतः समस्त परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष तत्काल अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित् किया जाये।

- स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) उपघटक में सम्मिलित कर प्रशिक्षित करने के निर्देश दिये गये है।

- जनपदों के परियाजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन शहरों हेतु सी0एल0सी0 स्वीकृत कर धनराशि सूडा द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है, उन शहरों को निर्देश दिये गये कि वे तत्काल सी0एल0सी0 का विधिवत शुभारम्भ कराते हुये निर्धारित प्रारूप पर विस्तृत सूचना तत्काल उपलब्ध करायें।

- कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई0एस0टी0एण्ड पी0) के अंतर्गत शहरों हेतु चयनित संस्थाओं से शीघ्र एम0ओ0यू0 एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराते हुए ट्रेडवार लक्ष्य आवंटित करने के निर्देश दिये गये। बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि स्थानीय स्तर पर संस्थाओं का मूल्यांकन कर प्रशिक्षण कार्य आवंटित किया जाये तथा इस संबंध में गठित समिति का निर्णय मान्य होगा।

(कार्यवाही–समस्त डूडा)

- रोजगार मेला/जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन मलिन बस्तियों में किये जाने के निर्देश दिये गये। उक्त कार्यक्रम के संचालन हेतु आई0ई0सी0 मद में धनराशि उपलब्ध कराने तथा उपयोग किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

आई0एल0सी0एस0

- योजनान्तर्गत जिन जनपदों ने धनराशि वसूल करने हेतु वसूली प्रमाण पत्र नहीं जारी किया है, तत्काल आंकलन कराकर आर0सी0 जारी कराना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में संबंधित जनपदों को एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुश्रवण करने के निर्देश भी दिये गये।

(कार्यवाही–संबंधित सूडा/डूडा)

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जिन जनपदों के पास धनराशि अवशेष है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी लंबित है, को निर्देशित किया गया कि वे एक सप्ताह में लेखा मिलान कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और यदि धनराशि व्यय नहीं हो पायी है तो उसे तत्काल मुख्यालय को वापस करना सुनिश्चित करें।

शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों व अन्य मलिन बस्तियों में इण्टरलॉकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना

- जनपदों को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध धनराशि के 70 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं समरूप भौतिक प्रगति उपलब्ध कराते हुए द्वितीय किस्त हेतु प्रस्ताव अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।
- विभिन्न परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की गयी प्रथम एवं द्वितीय किस्त की धनराशि के उपयोग के संबंध में निर्धारित प्रारुप 42–I के प्रारुप "क" एवं "ख" पर गुणवत्ता/विशिष्टियॉ /उपयोगिता प्रमाण पत्र की सूचना अवश्य उपलब्ध कराये जाने के निर्देश बैठक में दिये गये।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

कांशीराम शहरी दलित बाहुल्य बस्ती

- उक्त योजना के अंतर्गत जनपद मेरठ एवं वाराणसी के परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही संबंधित डूडा)

एस0सी0एस0पी0

- एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 या उससे पूर्व में अवमुक्त धनराशि के अभी भी कई जनपदों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अवशेष है, जब कि समस्त संबंधित जनपदो को पुनः निर्देशित किया जा चुका है कि तत्काल उपयोगिता प्रमाण पत्र/धनराशि सूडा को उपलब्ध करायें। इस संबंध में संबंधित जनपदों को निर्देशित किया कि **एक सप्ताह के अन्दर धनराशि सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।**

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा)

उक्त के अतिरिक्त बैठक में निम्नलिखित निर्देश भी दिये गये –

- कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि डी0पी0आर0 में यह सुनिश्चित किया जाये कि जो कार्य योजनान्तर्गत लिये जायें वह किसी अन्य योजना के अन्तर्गत न लिये गये हों।
- समस्त निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये।
- समस्त जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि सूडा द्वारा समय–समय पर निर्गत होने वाले आदेश व मांगी जानी वाली सूचना सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर उपलब्ध रहती है। अतः सूडा की वेबसाइट प्रति दिन देखें व वांछित सूचना समय से भेजें।

(कार्यवाही–समस्त डूडा)

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक– 2554 /110/तीन/97 **Vol-VII** **दिनांक–** 16/9/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।

3. निदेशक कैम्प/वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आर0एन0एन0, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0के0एन0एन, लखनऊ।
9. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
10. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
11. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
12. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक